भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(मानव संसाधन विभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

दिनांक 27 सितम्बर, 2024

परिपत्र

विषय :- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में प्रशिक्षुता (Internship) निति 2024 के तहत अक्टूबर-2024 में शुरू हो रही प्रशिक्षुता कार्यक्रम के सम्बंध में

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह देश भर में खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाला एक शीर्ष निकाय है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को खाद्य सुरक्षा प्रशासन के खाद्य विनियमन के विभिन्न क्षेत्रों में सीखने के नए अवसर प्रदान करेगा।

2. पात्रता मानदंड

निम्नलिखित में से किसी भी विषय में भारत/विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/उच्च डिग्री में **अध्ययनरत (Pursuing)** छात्र ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या जैव रसायन या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी या खाद्य और पोषण या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या माइक्रोबायोलॉजी या डेयरी प्रौद्योगिकी या कृषि या हार्टिकल्चरल साइंसेज में स्नातकोत्तर डिग्री /बी.टेक/बीई में अध्ययनरत छात्र अथवा औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान या टॉक्सीकोलोजी या सार्वजनिक स्वास्थ्य या जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन विषय में **अध्ययनरत छात्र**।

(ख) नीति विनियमन और संबंधित क्षेत्रों सहित व्यवसाय प्रशासन और प्रबंधन विषय में **अध्ययनरत छात्र**।

(ग) जर्नलिज्म, मास कम्यूनिकेशन एवं पब्लिक रिलेशन्स विषय पर पीजी डिप्लोमा / डिग्री में **अध्ययनरत छात्र**।

(घ) बी.ई./कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में **अध्ययनरत छात्र** बी.टेक (केवल तीसरे और चौथे वर्ष के छात्र, दूसरे या प्रथम वर्ष के लिए नहीं)।

(ड़) सार्वजनिक नीति लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में **अध्ययनरत छात्र** (केवल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्यालय के लिए)।

(च) विधि में स्नातक/ स्नातकोत्तर में **अध्ययनरत छात्र**।

नोट:-

(i) वे सभी छात्र जिन्होनें अपना उपर्युक्त पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) एक से अधिक आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) सभी उम्मीदवारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि प्रशिक्षुता के लिए वे जिस स्थान का चुनाव रहे हैं, उस स्थान के साथ विषय उपलब्ध है या नहीं, कहने का अर्थ है कि जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रयोगशाला के मामले में केवल तकनीकी योग्य उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

(iv) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में प्रशिक्षुता कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए छात्र केवल **internship-fssai@fssai.gov.in** पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

3. अवधि:

प्रशिक्षुता कार्यक्रम एक वर्ष में हर तिमाही में आयोजित की जाएगी। यह न्यूनतम 02 महीने की अवधि के लिए होगी, जिसे अधिकतम 06 महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। 02 महीने से कम अवधि की किसी प्रशिक्षुता कार्यक्रम का प्रावधान नहीं है।

4. विषय क्षेत्र/ कार्यक्षेत्र या प्रसंग एवं प्रशिक्षुता के लिए उपलब्ध उम्मीदवार:

आवेदन में उल्लिखित कोई भी विषय-क्षेत्र उसकी प्राथमिकता के रूप में माना जाएगा और यह विशिष्ट विभाग में उस विषय-क्षेत्र के आबंटन की पुष्टि नहीं करता।

क्षेत्र	प्रशिक्षुता का प्रसंग/ विषय
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (मुख्यालय), नई दिल्ली	मानव संसाधन वित्त एवं लेखा सूचना प्रोद्यौगिकी विधिक पुस्तकालय गुणवत्ता आश्वासन विनियामक अनुपालन विज्ञान एवं मानक आयात/ व्यापार एवं अंतराष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण
क्षेत्रीय कार्यालय- (क) पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, और (ख) दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	खाद्य आयात मंजूरी और लाइसेंसिंग

राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला- (क) राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद (ख) राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता)ग(राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला एक्सटेंशन सेंटर, रक्सौल और,)घ(राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, चेन्नई	खाद्य सैंपलींग और परीक्षण

5. कार्य स्थान :

यह आवश्यक है कि प्रशिक्षुओं के पास अपना लैपटाप हो। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्थानीय आवास और यात्रा के अलावे कार्य स्थान, इंटरनेट एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किसी भी बोर्डिंग का खर्च वहन नहीं करेगा।

6. आवेदन की प्रक्रिया:

(क) इच्छुक और योग्य छात्र भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार निर्दिष्ट प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन आवेदकों ने किसी विशेष तिमाही में प्रशिक्षुता के लिए आवेदन किया था और चयनित नहीं हुए, उन्हें अगली तिमाही के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।

(ख) प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए आवेदन पोर्टल में एक संक्षिप्त लेख या प्रस्तुति जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।

(ग) सभी आवेदनों की जाँच प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए नामित नोडल अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(घ) चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची, उनके प्रशिक्षुता प्रारंभ करने की तिथि और प्रशिक्षुता कार्यकाल के साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की वेबसाइट **https://fssai.gov.in/internship@fssai.php** पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी भी चयनित प्रशिक्षु को चयन से सम्बंधित जानकारी व्यक्तिगत स्तर पर नहीं दी जाएगी।

विवरण	समय सीमा
आवेदन करने की प्रारंभिक तिथी	27-09-2024
आवेदन करने की अंतिम तिथी	04-10-2024
चयनित उम्मीदवारों की घोषणा	अक्टूबर मास का दूसरा/तीसरा सप्ताह
कार्यारंभ तिथि	सूचित किया जाएगा

(ड़) प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करते समय प्रशिक्षु को अपने संस्थान से एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जिसमें उसके उस संस्थान के छात्र होने का पुष्टिकरण हो, इसके अलावा उसे चयनीत प्रशिक्षुता कार्यक्रम की अवधि की अनुमति सहित एक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" भी जमा करना होगा

। यही नहीं आवेदन प्रपत्र के अनुरूप उसकी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करते हुए संस्थान के प्राधिकारी से एक चरित्र प्रमाणपत्र भी जमा करना आवश्यक है।

(च) **चूँकि, प्रशिक्षुता कार्यक्रम योजना पूरे वर्ष में त्रैमासिक रूप से निर्धारित की जाएगी, अतः किसी भी प्रशिक्षु द्वारा कार्यारंभ तिथि में एक सप्ताह से अधिक समय बढ़ाने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

7. कार्यभार (असाइनमेंट):

खाद्य एवं पोषण प्रबंधन प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलूओं से संबंधित शैक्षणिक और तकनीकी प्रशिक्षण और सौंपी गई परियोजना के आधार पर प्रशिक्षुओं को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (मुख्यालय) के विभिन्न प्रभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों/राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशालाओं में से किसी एक के साथ काम करना पड़ सकता है।

8. वजीफा (स्टाइपेंड):

योग्य प्रशिक्षुओं को कार्यालय एवं संबंधित प्रभाग की सिफारिश पर कुल प्रशिक्षुता अवधि के लिए 10,000 रूपये (केवल दस हजार रूपये) वजीफा के रूप में दिए जाएंगे। योग्य प्रशिक्षुओं के मानदंड (क) उनकी उपस्थिति, (ख) उनके संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के आधार और (ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (मुख्यालय) के प्रभागीय प्रमुखों और क्षेत्रीय कार्यालयों या राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं के निदेशक द्वारा उनकी रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएँगे।

9. प्रमाण पत्र:

सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता कार्यक्रम के सफल समापन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट/प्रस्तुति की समीक्षा जमा करनी होगी जिसके पश्चात उन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (मुख्यालय) में संबंधित प्रभाग प्रमुखों और क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला में निदेशक द्वारा एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

27-09-24

मदन मोहन खंतवाल
उप- निदेशक (मा.सं.)